

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवनारायण बनाम रेवड़ 27 / 14	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.04.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः रूक-रूककर कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2014 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता उभयपक्ष को अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित नहीं है तथा अपीलान्त की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता द्राखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(के०सी०वर्मा) संभन्धीय आयुक्त, संजयपुर आयुक्त, जयपुर</p>	